न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 73 / 2015 / बाड़मेर

अपीलांट

1. लाधूराम पुत्र हेमाराम जाति विश्नोई निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.आईदानराम पुत्र हीराराम
2.सोनाराम पुत्र हीराराम
3.चुतराराम पुत्र हीराराम जातियान विश्नोई
4.खेराजराम पुत्र अन्नाराम
5.दानाराम पुत्र अन्नाराम
6.भंवराराम पुत्र अन्नाराम
7.नरसीराम पुत्र अन्नाराम
8.मोगाराम पुत्र बंधाराम
9.दमाराम पुत्र बंधाराम
10.नागजी पुत्र ईसराराम
11.छगनाराम पुत्र ईसराराम
12.गोरधनराम पुत्र ईसराराम
13.आम्बू बेवा ईशराराम जाति मेघवाल
14.सुखदेव पुत्र हीराराम
15.एलसी बेवा हीराराम
16.हरीराम पुत्र रामूराम
17.रामजीवण पुत्र रामूराम
18.बाबूलाल पुत्र हीराराम
19.भगवानाराम पुत्र भींयाराम
20.अशोक पुत्र केसरीमल जातियान विश्नोई निवासीयान धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
21.तहसीलदार धोरीमन्ना।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 278 / 2015 बअनवान आईदानराम बनाम खेराजराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 15.07. 2015 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री रिड़मलराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 11.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 व 14 से 20 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 369 रकबा 31.02 बीघा ग्राम धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है। जिससे लगता अपीलांट व उतरदाता संख्या 04

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

से 13 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 368/2 रकबा 36.02 बीघा व खसरा संख्या 367 रकबा 17.18 बीघा प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम नोटिस जारी ही नहीं किये गये। जिस कारण अपीलांट को इस प्रकरण की जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ नयायलाय द्वारा तहसीलदार धौरीमन्ना से एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर न जाकर हल्का पटवारी को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदाता संख्या 01 से 03 के दबाव में आकर एकपक्षीय मौका रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस स्थान पर रास्ता स्वीकृत किया गया है वहां अपीलांट की पक्की ढाणी बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कौर्ट में पारित किया गया जबकि कैम्प कोर्ट में पत्रावली सुनवाई बाबत रखी ऐसी अपीलांट को सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ नयायालय द्वारा अपीलांट के नाम कोई सम्मन जारी नहीं किया गया फर्द तलबाना व नोटिस अभी तक पत्रावली में संलग्न है। खसरा संख्या 367 के खातेदार हीरा पुत्र अन्ना को पक्षकार नहीं बनाया गया है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर न जाकर अपने अधीनस्थ कार्मिकों से बनाई मौका रिपोर्ट पर केवल प्रतिहस्ताक्षर किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार धौरीमन्ना ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये उतरदातागण के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मौका रिपोर्ट में जो भूमि पर जो रास्ता की दिखाई है उस भूमि पर अपीलांट की पक्की ढाणी बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जबकि पत्रावली कैम्प कोर्ट में सुनवाई बाबत रखी जाये ऐसी सूचना या नोटिस अपीलांट को नहीं दिये गये। कैम्प कोर्ट में केवल आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधर पर निर्णय पारित करने के राज्य सरकार के आदेश थे लेकिन हस्तगत प्रकरण में राजीनामा या सहमति जैसी कोई बात नहीं थी तथा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया जो लोक अदालत के उद्देश्य के विरूद्ध जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 369 रकबा 31.02 बीघा ग्राम धौरीमन्ना, तहसील धौरीमन्ना में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांट द्वारा रास्ते के विकल्प बताये गये है लेकिन रिकॉर्ड ऐसा कोई रास्ता दर्ज नहीं है। मौके पर किसी प्रकार की कोई ढाणी बनी हुई नहीं है मौके पर रास्ता चालू है। आवेदन में सुनवाई के समय पटवारी ने सभी पक्षकारों को सूचित कर दिया था इसलिए नोटिस जारी नहीं हो सके। लोक अदातल की सूचना दी गई थी। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अरसा 20 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अपीलांट के खेत में से रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत हुऐ तथा अपीलांट को उनके खेत में रास्ता निकालने की धमकियां दी जिस पर अपीलांट को अपने हक हकुकों के प्रति संशय पैदा हुआ तो अपने अधिवक्ता के जरिये उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने व नकले लेने हेतु हिदायत दी जिस पर दिनांक 11.09.2015 को हस्तगत प्रकरण की नकले प्राप्त हुई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वकील द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील को मिंयाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल ज्ञान कब? किसके द्वारा? होने का कथन नहीं कर देने के तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। लिहाजा अपील प्रस्तुति के विलम्ब को वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए सद्भाविक मानकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मौका फर्द दिनांक 30.07.2014 के आधार पर पारित किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी के खसरा संख्या 369 रकबा 31.02 बीघा में आने–जाने (आवागमन) राजकीय कटान मार्ग (सड़क) तक पहुंचने का अन्य विकल्प नहीं है, खसरा संख्या 367, 368/2 ही सबसे नजदीक एवं इकलौता विकल्प है। तथा प्रस्तावित रास्ते मौके पर वर्तमान में चालू है। अपीलांट को न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांट द्वारा ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य सबूत पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेंट के प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो। अपीलांट द्वारा बताये अन्य वैकल्पिक रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं है। इससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांटगण की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 278/2015 बअनवान आईदानराम बनाम खेराजराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

11/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner